

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी

प्रतिवादीगण

वेदान्त यादव

बनाम

विनोद कुमार यादव व अन्य

केस संख्या 84/25(2025/

online number)

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

02.06.2025

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/06/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी

30/6/25

पत्रावली पेश हुई वमील वादी उप.  
प्रतिवादी की ओर से वमील की विरुद्ध  
गुफ्तार के अन्तर्गत पेश की। वमील वादीगण  
व गुफ्तार दावा हेतु पत्रावली दिनांक 11.7.25 को  
पेश हो।

प/न  
मिनिश गुफ्तार

8003754100

17/7/25

पत्रावली प्र. प्र. का विरुद्ध पत्रावली तलब विरुद्ध  
जाते का पेश होते पर ली गयी। वादीगण  
स्वयं उपस्थित है जिसकी पहिचान वमील  
श्री विनोद शर्मा ने की है वमील वादीने  
प्रधान प्र. कक्ष के शरीरामा के आधार पर  
दावा विरुद्ध करते का पेश किया है जिस पर  
कक्ष हेतु प्र. निपत दिनांक 11.7.25 को  
पत्रावली पेश हो।

Vedant  
D.D. 2062019762

9829470443

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

11/15  
Affidavit

Vedant  
T. D. S. P. P. P.

पत्रावली भेज दी, कमील वाली उपस्थित  
 वही गण अपने उपस्थित जिसमें पहचान  
 कमील भी किरोड शरी ने वी है, कमील वाली  
 ने प्रथम पत्र पेश कर निवेदन किया कि  
 हम पत्रकार के रूप आपसे मैं रजिस्ट्रार  
 हो गया है जिसके कारण वीड को अगे  
 नहीं चला कर विज्ञापन चला रहे है।  
 कमील वाली को प्रथम पत्र में प्रथम  
 मुद्रागत चो उक्त प्रथम पत्र पर कमील  
 वाली को मुद्रा के पत्रकार गणपति में  
 प्रथम पत्र कर विज्ञापन किताब बनकर  
 सब वही किताब बनाता है। प्रथम  
 पत्र कर विज्ञापन होने से सब वही  
 खाजि किया जाता है। कमील वाल  
 से वही होकर कर कमील है किताब  
 है।